RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN): U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.
PHONE NO. 0141-2740381/82Website: http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl

No: RVPN/Karmik/CSBY/ F. 479 / D. 18 **Jaipur, Dated: 06.04.2021**

समस्त मुख्य/संभागीय मुख्य अभियंता ( ),
समस्त अधीक्षण अभियंता ( ),
रा.रा.वि.प्र.नि., ——————

विषय :– बजट घोषणा 2021–22 के क्रम में राराविप्रनि में कार्यरत संविदा कार्मिको के ऑन लाइन पंजीकरण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 05.04.2021 के निरन्तरता में लेख है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण हेतु गाईड लाईन संलग्न कर निवेदन है कि यदि आपके अधीन कोई संविदा कार्मिक कार्यरत है तो आप अपने स्तर पर नियत तिथि तक पात्र संविदा कार्मिको का पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। पंजीकरण की सूची तुरन्त प्रभाव से इस कार्यालय में प्रेषित करें।

संलग्न गाईड लाईन

6/4/2021

रामेश्वर अहारी
संयुक्त निदेशक कार्मिक–नोडल अधिकारी

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

रजिस्ट्रेशन ई-मित्र पर 1 अप्रेल 2021 से आरंभ

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

- आधार कार्ड
- जन-आधार कार्ड या जन-आधार संख्या या जन-आधार रजिस्ट्रेशन रसीद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।

[illegible] शुल्क

आवेदन	20 रुपये
प्रीमियम जमा करवाना	10 रुपये
पॉलिसी का प्रिंट	
• प्री प्रिंटेड कागज	20 रुपये
• सादा कागज	10 रुपये

योजना की खास बातें

- योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने (IPD) पर कैशलेस इलाज
- सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी
- अन्य परिवार 850 रुपये के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए **1800 180 6127 पर फोन करें या विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby देखें**

योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू

अति आवश्यक (बजट घोषणा 2021–22)

राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)

आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ.(55)/आर.एस.एच.ए.ए./एबी–एमजीआरएसबीवाई/UHC/2021/568-1 दिनांकः 26/3/2021

जिला कलक्टर,
समस्त जिले।
राजस्थान।

विषयः बजट घोषणा 2021–22 के कम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के पंजीयन (दिनांक 1 अप्रेल 2021 से 10 अप्रेल 2021) के कम में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में Universal Health Coverage लागू करने की बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरूआत की जा रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में वर्तमान में लाभान्वित खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के 1.10 करोड़ परिवारों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य परिवार प्रीमियम राशि का प्रति वर्ष 50 प्रतिशत भुगतान कर इस योजना से जुड़ सकते है।

उक्त सदर्भ में संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य श्रेणी के परिवारों को योजनान्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यह पंजीकरण दिनांक 1 अप्रेल से प्रारंभ होगा जिसमें लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई–मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकेंगे। इस हेतु दिनांक 1 अप्रेल 2021 से 10 अप्रेल 2021 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों के आयोजन हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर नोडल अधिकारी होंगे। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा जारी किये गये है।

अतः कोविड–19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए संलग्न दिशा–निर्देशानुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना–पंजीकरण शिविरों का आयोजन कर इस अभियान का सफल कियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना–पंजीकरण अभियान दिशा–निर्देश।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

क्रमांक एफ.(55)/आर.एस.एच.ए.ए./एबी–एमजीआरएसबीवाई/UHC/2021/568-1 दिनांकः 26/3/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार।
6. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान सरकार।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
8. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
9. शासन सचिव, चिकि.एवं स्वा. विभाग, राजस्थान सरकार।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
11. समस्त संभागीय आयुक्त।
12. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)

आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना–पंजीकरण अभियान

1. **योजनान्तर्गत पात्रता:–** योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जायेगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जनआधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी की सीडींग होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत श्रेणीवार पात्र परिवार का विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	प्रावधान
श्रेणी–1	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार	इस श्रेणी के पात्र परिवारों के राशन कार्ड की संख्या जनआधार/भामाशाह कार्ड से जुडी होना आवश्यक है।
श्रेणी–2	सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार	इस श्रेणी के पात्र परिवारों की 24 अंको की परिवार पहचान संख्या का जनआधार/भामाशाह कार्ड पर मैपिंग होना आवश्यक है।
श्रेणी–3	राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक	जनआधार कार्ड से जुडे राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक जिनका योजना के सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापन किया गया हो।
श्रेणी–4	लघु सीमांत कृषक	जनआधार कार्ड से जुडे लघु सीमांत कृषक जिनका योजना के सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन किया गया हो।
श्रेणी–5	राज्य के अन्य परिवार जिनको वर्तमान में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभ नहीं मिल रहा है, प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।	जनआधार कार्ड से जुडे वें परिवार जो योजना के सॉफ्टवेयर पर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर पंजीकृत हो।

जनआधार कार्ड/भामाशाह कार्ड पर अंकित परिवार पहचान संख्या अथवा जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद को योजना के सॉफ्टवेयर में दर्ज करने पर

योजनान्तर्गत चयनित श्रेणी का विवरण प्रदर्शित होने पर ही परिवार को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।

2. **योजनान्तर्गत पंजीकरण कराने की प्रकिया:** योजना अन्तर्गत 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ होगा जिसके तहत् संबन्धित श्रेणी के पात्र लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकेंगे। श्रेणीवार पंजीयन की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी–

श्रेणी–1 (खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार):–ये लाभार्थी पूर्व में ही जनआधार कार्ड से जुडे हुए है अतः इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।

श्रेणी–2 (सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार):– ये परिवार योजनान्तर्गत लाभान्वित है परन्तु इनके जनआधार कार्ड में 24 अंकों की परिवार पहचान संख्या की मैपिंग/सीडींग होना आवश्यक है। अतः ऐसे परिवार सम्बन्धित ईमित्र केन्द्र पर जाकर उक्त परिवार पहचान संख्या की सीडींग करवाने पर योजना का लाभ ले सकेंगे। इस हेतु किसी अन्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्रेणी–3 (संविदा कार्मिक):–

- राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान ओ.टी.पी./बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई–प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- संविदाकर्मी स्वयं ऑनलाइन/ई–मित्र के माध्यम से उक्तानुसार पंजीयन करवा सकेंगे जिसे सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत संविदाकार्मिको की सूचना उपरोक्त उल्लेखित विभागीय पोर्टल पर भी भरी जा सकेगी।
- उक्त डेटाबेस को सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

श्रेणी–4 (लघु एवं सीमान्त कृषक):–

- लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई–मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान ओ.टी.पी./बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई–प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई–मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रकिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land

Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई–मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।

श्रेणी–5 (अन्य परिवार):

- ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं है, वह 50 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान कर योजना से जुड सकते है।
- इस श्रेणी के परिवारों को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई–मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान ओ.टी.पी./बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई–प्रमाणीकरण किया जायेगा।
- इन लाभार्थियों द्वारा 850/– रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र के माध्यम से अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड नम्बर।

पंजीयन शुल्क:

योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु ई मित्र कियोस्क द्वारा निम्न शुल्क लिये जायेंगे–

1. पंजीयन के लिए आवदेन शुल्क रू 20/–
2. प्रीमियम संग्रहण शुल्क रू10/–

पंजीयन अभियान:

योजनान्तर्गत लोगो को जोडने एवं व्यापक आईईसी हेतु विशेष पंजीयन अभियान दिनांक 1 अप्रेल 2021 से 10 अप्रेल 2021 के मध्य चलाया जायेगा जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित जिला कलक्टर का होगा। यद्यपि पंजीयन शिविर के उपरांत भी दिनांक 30 अप्रेल 2021 तक योजनान्तर्गत पंजीकरण जारी रहेगा। इस पंजीयन अभियान की कार्य योजना निम्नानुसार रहेगी–

1. **ग्रामीण क्षेत्र:** इस अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर शिविर लगाये जायेंगे जहां लाभार्थियो का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। साथ ही दूरस्थ गांव में भी सार्वजनिक स्थल यथा स्कूल अथवा ई–मित्र केन्द्र पर भी यह शिविर आयोजित किया जा सकेगा। शिविर दल का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा। यद्यपि जिला कलक्टर मानव संसाधन की स्थानीय उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार शिविर दल का गठन कर सकेंगे।

क.स.	पद नाम	कार्य
1	ग्राम विकास अधिकारी	शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
2	पटवारी	जमाबंदी की प्रतिलिपी जारी करना।
3	कृषि पर्यवेक्षक	लघु एवं सीमान्त कृषकों को शिविर तक लाना।
4	आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम	शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं मोबिलाइजेशन।
5	ई मित्र (प्रति 50 लोगो के पंजीकरण हेतु 1 ई मित्र)	लाभार्थियों का पंजीयन करना।

योजना के संभावित लाभार्थी यथा लघु एवं सीमांत कृषकों का डेटा शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। संभावित पात्र परिवारों के मोबिलाइलेशन के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम आदि स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग सुनिश्चित करें।

2. **शहरी क्षेत्र**– शहरी क्षेत्र में पंजीयन. शिविर हेतु समस्त व्यवस्थाएं सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी जहां आवश्यकतानुसार वार्डवार शिविर लगाये जा सकेंगे।

3. **शिविर व्यवस्थाएं**–शिविर के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं यथा बिजली, पानी, बैठक व्यवस्था आदि सम्बन्धित पंचायती राज/नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।

4. इस कार्य हेतु जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय दलों का निम्नानुसार गठन किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी इन दलों के प्रभारी होंगे जो अन्य विभागीय अधिकारीयों (विशेषकर जिनपर संविदाकार्मिकों एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों का दायित्व है) के समन्वय से शिविर का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेंगे।

क.स.	जिला स्तरीय दल
1	जिला कलक्टर
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4	संयुक्त निदेशक– डीओआईटी
5	उप निदेशक–कृषि विभाग

क.स.	ब्लॉक स्तरीय दल
1	उपखण्ड अधिकारी
2	खण्ड विकास अधिकारी
3	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4	कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त नगरीय निकाय
5	प्रोग्रामर– डीओआईटी

5. **प्रशिक्षण**– पंजीयन के कम में सम्बन्धित ई–मित्र एवं तकनीकी अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 30 से 31 मार्च 2021 को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

6. **आईईसी**– शिविर के सफल आयोजन, प्रचार प्रसार एवं योजना की आई.ई.सी. हेतु प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति को रूपये 1,50,000/– का बजट आवंटन आरएसएचएए द्वारा किया जायेगा जो जिला कलक्टर के निर्देशन में प्रयुक्त किया जा सकेगा। शिविर में प्रदर्शित होन वाली आईईसी सामग्री की सीडीआर एवं जेपीजी फाइल योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby पर उपलब्ध रहेंगे जिसे जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रिंट कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी आईईसी सामग्री प्रेषित की जायेगी जिसको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाये।

7. **पंजीयन दस्तावेज**– योजनान्तर्गत पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में 'पॉलिसी दस्तावेज' डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। लाभार्थी ई मित्र कियोस्क को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पॉलिसी दस्तावेज का प्रिंट ले सकेंगे। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को योजना की जानकारी देने के लिए एक पेम्पलेट भी दिया जायेगा। इसके लिए जिला प्रशासन पेम्पलेट की रंगीन प्रति प्रिंट करवा कर प्रत्येक शिविर के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इस पेम्पलेट की प्रिंटिंग का शुल्क उपरोक्त बिन्दु संख्या 6 में वर्णित आवंटित बजट में से देय होगा।

8. शिविर आयोजन के कम में सामान्य निर्देश–

8.1 ऐसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हे पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा।

8.2 यह शिविर प्रत्येक उपखण्ड में इस प्रकार आयोजित किये जाये की दिनांक 10 अप्रेल 2021 तक जिलें की सभी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन हो सके।

8.3 कोविड गाइडलाइन जैसे सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क पहनने आदि की पालना को सुनिश्चित करते हुए शिविरों का आयोजन किया जाये एवं अनावश्यक भीडभाड की स्थिति नहीं हो। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर की अवधि का निर्धारण सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाये। कोविड–19 गाइडलाइन एवं कृषि कार्य को ध्यान में रखते हुए संभवतया सायंकालिन शिविरों का आयोजन किया जाये।

8.4 योजना के संभावित लाभार्थी यथा लघु एवं सीमांत कृषकों का डेटा शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि केवल उन्ही लाभार्थियों को शिविर में

बुलाया जाये जिनका पंजीयन किया जाना हो **अर्थात् ऐसे परिवार जो एनएफएसए/एसईसीसी में पूर्व में लाभान्वित है उनका पंजीयन नहीं किया जाना है।**

8.5 संभावित पात्र परिवारों के मोबिलाइलेशन के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम आदि स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग सुनिश्चित करें।

8.6 जिला कलक्टर ग्राम पंचायतवार/वार्डवार शिविर आयोजन का तिथीवार प्लान तैयार कर राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी को ईमेल आईडी iceo-rshaa@gov.in पर दिनांक 31.03.2021 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

(अरूणा राजोरिया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी